जमानत याचिका क्र.–851/2026 आदेश दिनांक–20/08/2026

आदेश की प्रति

न्यायालय– तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महासमुंद (छ.ग.)
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती चंद्रकला देवी साहू

सी.एन.आर. नं. CGMA01–001710–2026
जमानत याचिका क्र. 851/2026,
थाना महासमुंद,
अपराध क्रमांक 336/2026
धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम, 2015
जमानत आवेदन प्रस्तुति दिनांक 17.08.2026
जमानत आदेश दिनांक 20.08.2026

विकास कुमार सूर्या, पिता चिकु कुमार सूर्या उम्र 20 वर्ष
निवासी वार्ड नं. 09 छिपियापारा, महासमुंद
थाना महासमुंद, जिला–महासमुंद (छ.ग.).... .आवेदक/अभियुक्त

//विरूद्ध//

छत्तीसगढ़ राज्य,
द्वारा–महासमुंद
जिला–महासमुंद(छ.ग.) ....अनावेदक/ अभियोजन

20.08.2026 आवेदक/अभियुक्त विकास कुमार सूर्या न्यायिक अभिरक्षा में, आवेदक/अभियुक्त की पैरवी हेतु श्री जे.एस चांवला अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री तेजेन्द्र चंद्राकर अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण आवेदक/अभियुक्त विकास कुमार सूर्या की ओर से पेश जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है। विचारण न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त है। संबंधित थाने से पंजीबद्ध

अपराध की केस डायरी मय प्रतिवदेन पेश है । अतः जमानत आवेदन पर उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन का सार यह है कि थाना महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.) के अपराध क्रमांक 336/2026 अन्तर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध में आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 07.06.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां उसका जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महासमुंद के द्वारा दिनांक 08–06–2026 को निरस्त किया गया है । आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है, जिससे उपरोक्त अपराध का गठन होता हो। आवेदक/अभियुक्त से किसी प्रकार की वैध अथवा अवैध मदिरा जप्त नहीं की गई है। झूठे जप्ती पत्र के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस अपराध के पूर्व आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना तुमगांव में अपराध क्रं. 20/2022 जिसका दाण्डिक प्रकरण क्रं. 31/2022 है, जिसमें दिनांक 04/01/2023 को माननीय अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड महासमुंद के द्वारा दोषमुक्त किया गया है । आवेदक/अभियुक्त का इस अपराध के अलावा एक अन्य अपराध क्रं. 434/2024 है, जिसमें आज दिनांक तक पुलिस

थाना महासमुंद द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । आवेदक/ अभियुक्त वार्ड नं 09 छिपियापारा महासमुंद, थाना, तहसील व जिला महासमुंद का स्थायी निवासी है। उसे जमानत पर रिहा किये जाने के पश्चात अन्यत्र फरार होने या अभियोजन साक्षियों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर मुक्त होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करेगा तथा वह जमानत में उन्मुक्त होने हेतु सक्षम जमानत देने हेतु तैयार हैं ।

जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के बड़े भाई **तुषाल कुमार** का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । शपथ पत्र की **कंडिका 02** एवं जमानत आवेदन की **कंडिका 12** में यह लेख है कि धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रस्तुत यह **द्वितीय जमानत आवेदन** है। प्रथम जमानत याचिका क्रं. 564/2026 दिनांक 11.06.2026 को न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है । इसके अतिरिक्त उसके द्वारा इसी प्रकृति का जमानत आवेदन अन्य किसी समकक्ष न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग. में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही लंबित है और न ही निराकृत हुआ है।

प्रस्तुत जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये है।

आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता का जमानत आवेदन के अनुरूप तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है उसे मामले में झूठा फंसाया गया है । पंजीबद्ध अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः **आवेदक/अभियुक्त विकास कुमार** सूर्या को जमानत पर रिहा किया जावे।

राज्य की ओर से श्री तेजेन्द्र चंद्राकर अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए व्यक्त किया गया कि अभियुक्त के आधिपत्य से अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब जप्त हुआ है तथा अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने से अभियुक्त द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति करने की संभावना है। इसलिए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किया जावे।

आवेदन के परिप्रेक्ष्य में मूल अभिलेख एवं केस डायरी मय प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित होता है कि दिनांक 07.06.2026 को मुखबीर की सूचना पर कि एक व्यक्ति भलेसर रोड नहर किनारे आम पेड के नीचे अवैध शराब बिक्री कर रहा है। सूचना तस्दीक पर रेड कार्यवाही कर अभियुक्त के कब्जे से एक सफेद रंग के छोटा प्लास्टिक बोरी में रखा **23 नग पौवा देशी प्लेन शराब एवं 12 पौवा देशी मसाला शराब प्रत्येक शीशी में 180 एम.एल भरी हुई कुल 6.300 लीटर शराब एवं बिक्री रकम नगद 31,00/–** रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त कर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रं. 336/2026 धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया है । पंजीबद्ध अपराध की विवेचना पूर्ण कर दिनांक 03.08.2026 को

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुंद के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो दाण्डिक प्रकरण क्रं. एस. 3886/2026 शासन विरूद्ध विकास कुमार सूर्या धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के रूप में पंजीबद्ध होकर प्रकरण आरोप पूर्व तर्क हेतु नियत है । इस प्रकार अभिलेख के अवलोकन से यह माने जाने का कोई आधार नहीं है कि अभियुक्त दोषी नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की प्रतियां केस डायरी के साथ संलग्न है। आपराधिक रिकॉर्ड की प्रतियों के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध इसी प्रकृति के दो अन्य अपराध भी पंजीबद्ध किया जाना दर्शित है–

क्र.	आरक्षी केन्द्र	अपराध क्रं.	धारा
01.	महासमुंद	436/2024	धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम
02.	तुमगांव	20/2022	धारा 34(क) छ.ग. आबकारी अधिनियम

जमानत आवेदन के साथ थाना तुमगांव के अपराध क्रं. 20/2022 से संबंधित किशोर न्याय बोर्ड महासमुंद जिला महासमुंद के समक्ष दाण्डिक प्रकरण क्रं. 31/2022, संस्थित दिनांक 16.03.2022, अंतिम आदेश दिनांक 04.01.2023 की प्रति संलग्न है, जिसके अनुसार धारा 34(1) आबकारी अधिनियम का अपराध स्वीकार करने के आधार पर भर्त्सना की गई है। आवेदक/अभियुक्त से संबंधित थाना महासमुंद का

अपराध क्रं. 436/2024, धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम भी है । इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध रिकॉर्ड से सामान प्रकृति के अपराधों में आवेदक/अभियुक्त की लगातार संलिप्तता दिखाई दे रही है। प्रथम जमानत आवेदन आदेश दिनांक 11.06.2026 को गुण दोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है । यदि आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो निश्चय ही उसका मनोबल बढ़ेगा और उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

न्यायदृष्टांत– Deepak Yadav vs. State of Uttar Pradesh and Another (2022) 8 SCC 559 अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर उसे जमानत का पात्र नहीं होना पाते हुए उसका जमानत आवेदन निरस्त किया गया है ।

अतः उपरोक्त संकलित तथ्यों व परिस्थितियों,अपराध की गंभीरता, जप्तशुदा शराब की मात्रा एवं अभियुक्त के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड तथा अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय आवेदक/ अभियुक्त को जमानत का लाभ देना उचित नहीं पाती है। अतः आवेदक/अभियुक्त **विकास कुमार सूर्या** की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय जमानत आवेदन पत्र** अंतर्गत **धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 निरस्त** किया जाता है ।

आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ एवं एक प्रति जेल अधीक्षक जिला जेल महासमुंद को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे की वह आवेदक/अभियुक्त को आदेश से अवगत करावे।

विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटाई जाये।

केस डायरी संबंधित थाने को वापस की जाये ।

जेल अधीक्षक, जिला जेल महासमुंद और सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद छ.ग. को उनके ई–मेल के माध्यम से जमानत आदेश के संबंध में सूचित किया जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

CHANDRAKALA DEVI SAHU

Digitally signed by CHANDRAKALA DEVI SAHU
Date: 2026.08.20 17:09:16 +0530

(श्रीमती चंद्रकला देवी साहू)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश,
महासमुंद (छ.ग.)